राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः--प.10(8) परि/लेखा/जलेस/2014-15/ 7883 दिनांक : 16.5.019

कार्यालय आदेश संख्या :....04/2019

विषय :— सीएजी एवं जन लेखा समिति प्रतिवेदनों में आक्षेपित वाहन एवं राशि को अनुपालना में अदेय सूचित करने के संबंध में।

जन लेखा समिति के प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों की क्रियान्विति हेतु विभाग के पूर्व कार्यालय आदेश सं. 33/2014 दि. 27.10.2014, 14/2015 दि. 22.05.2015 एवं 16 दि. 21.04.216 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि किसी भी कारण से वाहन की कर देयला समाप्त होने पर कर खातों एवं पंजीयन लेखों में तत्समय ही कारणों सहित प्रविष्ठि की जावें। आक्षेप को सीएजी प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरान्त आक्षेपित राशि को अदेय बताया जाना मान्य नहीं होगा। किन्तु विभाग द्वारा जारी उक्त निर्देशो की पालना अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नहीं की जा रही है।

उक्त कार्यालय आदेशों की निरन्तरता में पुनः एतदद्वारा निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जावें कि रिक्त पडे कर खातों में यथासंभव वसूली की प्रविष्ठि एवं किसी भी कारण से (यथा वाहन का अर्न्तजिला कर चुकता प्रमाण पत्र जारी होने, पुनः पंजीयन होने, पंजीयन प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र समर्पित होने आदि) वाहन की कर देयता समाप्त होती है तो कारणों सहित तत्काल प्रविष्ठि कर खातों एवं पंजीयन लेखों में सुनिश्चित होवें।

आक्षेप को महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन एवं सीएजी, पीएसी प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने के उपरांत अनुपालना में आक्षेपित राशि को अदेय दर्शाये जाने की स्थिति में अनुपालना मान्य किये जाने से पूर्व जिला परिवहन अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

उक्त निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें जिससे जन लेखा समिति को समेकित पालना तैयार कर प्रस्तुत की जा सके।

(राजेश यादव)
शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः—प.10(8) परि/लेखा/जलेस/2014-15/ 7884-89 दिनांक : 16.5.019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सहायक, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त
2. समस्त अति. परिवहन आयुक्त
4. वित्तीय सलाहकार
5. समस्त प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी...
6. उप वित्तीय सलाहकार एवं वरि. लेखाधिकारी
7. लेखाधिकारी (अंकेक्षण) एवं महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन सीएजी एवं पीएसी प्रतिवेदन के डीलिंग असिस्टेंट को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें।

वित्तीय सलाहकार